न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 15/2024

बउनवान

ब्रजराज सिंह पुत्र स्व0 सुमेर सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी किशनगढ जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम रामबल राठौड़ पुत्र आर.के. राठौड निवासी डी–143, ए परिवहन नगर, खातीपुरा रोड जयपुर .....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमती निशा सहारण, विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ
2. सुमेर क्लब जरिये सचिव रमेश पुरोहित, किशनगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
4. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर परिषद किशनगढ जिला अजमेर

.....**अप्रार्थी**

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–	1.	श्री वरदान सिंह	अभिभाषक प्रार्थी
	2.	श्री हेमराज गुप्ता	अभिभाषक अप्रार्थी 2
	3.	श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी	अभिभाषक अप्रार्थी 4
	4.	श्री ओम प्रकाश गुर्जर	राजकीय पेरोकार

आदेश **दिनांक :– 02.04.2025**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ब्रजराज सिंह पुत्र स्व0 सुमेर सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी किशनगढ जिला अजमेर जरिये मुख्त्यारआम रामबल राठौड पुत्र आर.के. राठौड निवासी डी 143, ए परिवहन नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर द्वारा दिनांक 24.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के यहॉ राजस्व प्रकरण वाद ब्रजराज सिंह बनाम सरकार विचाराधीन है। जिसमें ख.न. 1166 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1149 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 21/2003 बउनवानी ब्रजराज सिंह बनाम सरकार नम्बर व शीर्षक से दर्ज हैं। इसी सन्दर्भ में उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट विचाराधीन है। वाद व धारा 212 आर0टी0 एक्ट के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 2 सुमेर क्लब जरिये सचिव रमेश पुरोहित की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 09.09.2019 को प्रस्तुत कर वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 सुमेर क्लब के सचिव श्री रमेश पुरोहित जो कि उसी न्यायालय में वकालत भी करते है, प्रारम्भ से अपने निजी स्वार्थ के लिये उपरोक्त प्रकरण में विशेष रूचि दिखाते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के पीठासीन अधिकारी पर अपने वकालत का प्रभाव बनाते हुये प्रार्थी के प्रकरण में प्रार्थी के विपरीत आदेश पारित करवाने पर उतारू हो रखे है। प्रार्थी को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि प्रकरण से सबंधित अप्रार्थी संख्या 2 की प्रारम्भ से सिफारिश क्षेत्रीय विधायक द्वारा पीठासीन अधिकारी को की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक ने अपने राजनैतिक प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये श्रीमती निशा सहारण को प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करने हेतु भारी दवाब बना रखा

जिला कलक्टर
अजमेर

है। जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ उनके समक्ष विचारधीन प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर के रहेंगे। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ से निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करना फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी किशनगढ से प्रार्थना पत्र बाबत् टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री वरदान सिंह उपस्थित आयें। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री हेमराज गुप्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी अभिभाषक उपस्थित आये। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ से वांछित टिप्पणी प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के यहाँ विचाराधीन राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्व कस्बा किशनगढ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1166 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1149 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि बाबत प्रस्तुत किया गया था जो वाद संख्या 21/2003 बउनवानी ब्रजराज सिंह बनाम सरकार नम्बर व शीर्षक से दर्ज कर रखा है। वाद के विचाराधीन रहते वादी/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व अस्थायी निषेद्याज्ञा चाही। जो प्रार्थना पत्र संख्या 193/2024 बउनवानी ब्रजराज सिंह बनाम सरकार नम्बर व शीर्षक से दर्ज कर रखा है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में विचाराधीन है। वाद व धारा 212 आर0टी0 एक्ट के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 2 सुमेर क्लब जरिये सचिव रमेश पुरोहित की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का दिनांक 09.09.2019 को प्रस्तुत कर वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर उसका प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। वाद व प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0 एक्ट के विचाराधीन रहते कुछ ऐसी टिप्पणियां विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ श्रीमति निशा सहारण द्वारा की गयी जो एक न्यायिक अधिकारी के लिये शोभनीय नहीं थी एवं प्रार्थी के अधिकारो के विपरीत थी। विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 2 सुमेर क्लब के सचिव श्री रमेश पुरोहित जो कि उसी न्यायालय में वकालत भी करते है, प्रारम्भ से अपने निजी स्वार्थ के लिये उपरोक्त प्रकरण में विशेष रूचि दिखाते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के पीठासीन अधिकारी पर अपने वकालत का प्रभाव बनाते हुये प्रार्थी के प्रकरण में प्रार्थी के विपरीत आदेश पारित करवाने पर उतारू हो रखे है। दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थी की ओर से विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निर्णित करने से पूर्व इसी न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि से सबंधित पूर्व में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 01.03.1974 व 11.03.1993 की पत्रावली को तलब किया जावे जिससे प्रकरण का विधि अनुसार निर्णय हो सके। किन्तु पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को एन्टरटेन्ट करने से ही मना कर दिया एवं प्रार्थी के अभिभाषक को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस करने हेतु दबाव डाला। विवादित भूमि बेशकीमती होने से अप्रार्थी संख्या 2 जो सुमेर क्लब के सचिव बनकर प्रकरण में पैरवी कर रहे है। वास्तव में सुमेर क्लब से उनका कोई हित निहित

जिला कलक्टर
अजमेर

नही है तथा वे अपने निजी स्वार्थ के उद्देश्य से सुमेर क्लब के सचिव बनकर आ रहे है। प्रार्थी को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि प्रकरण से सबंधित अप्रार्थी संख्या 2 की प्रारम्भ से सिफारिश क्षेत्रीय विधायक द्वारा पीठासीन अधिकारी को की जा रही है। क्षेत्रीय विधायक ने अपने राजनैतिक प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए श्रीमती निशा सहारण को प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करने हेतु भारी दवाब बना रखा है जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उपखण्ड अधिकारी किशनगढ उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर के रहेंगे। उपरोक्त कारणो एवं आधारो से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि वर्तमान विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 21/2003 व प्रार्थना पत्र संख्या 193/2024 बउनवानी ब्रजराज बनाम सरकार वगैरह में प्रार्थी को न्याय पक्षपात रहित होकर नहीं प्रदान कर सकते एवं पक्षपात रहित होकर प्रकरण का निर्णय नहीं कर सकते। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ विचाराधीन वाद संख्या 21/2003 व प्रार्थना पत्र संख्या 193/2024 बउनवानी ब्रजराज बनाम सरकार वगैरह का स्थानान्तरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में किया जावे, ताकि प्रार्थी के साथ अन्याय नहीं हो ।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया की प्रार्थी ब्रजराजसिंह द्वारा एक मुन्तकिली प्रार्थना पत्र आर.टी.एक्ट संख्या 1272/2025 बृजराज सिंह बनाम श्रीमति निशा सहारण उपखण्ड अधिकारी किशनगढ व अन्य के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी फर्द दस्तावेज के साथ उक्त प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन एवं निष्फल हो जाने से खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत फर्द दस्तावेज के साथ संलग्न मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 1272/2025 बउनवान बृजराज सिंह बनाम श्रीमति निशा सहारण उपखण्ड अधिकारी किशनगढ व अन्य के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में समान वाद संख्या 21/2003 बउनवान बृजराज बनाम सरकार व अन्य में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रार्थी ब्रजराज सिंह द्वारा हाजा न्यायालय में तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दो जगह चलाया जा रहा है। इस न्यायालय से उच्चतम न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं निष्फल हो जाता है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा टिप्पणी में बताया गया है कि वाद वर्ष 2003 से 22 वर्ष से विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 02 सुमेर क्लब जरिये सचिव रमेश पुरोहित की ओर से दिनांक 09.09.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी का जवाब वादी अधिवक्ता ने दिनांक 20.09.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें लगभग 18 पेशीयों/05 वर्ष का समय उक्त प्रार्थना पत्र की बहस हेतु लिया गया। उपखण्ड न्यायालय किशनगढ द्वारा राजस्व (ग्रुप 07) विभाग द्वारा कमांक/प.03(637) राज–7/2023 दिनांक 08.02.2024 के तहत राजस्व न्यायालय के लिये मानक संचालन प्रकियायें जारी की है, उक्त मानक संचालन प्रकिया के प्रथम बिन्दु के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुरानी पत्रावलियों में नजदीक तारीख पेशी दी जाकर निस्तारण किया जाना है, तथा उक्त वाद 20 वर्ष से अधिक पुराना है। लिहाजा उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिपूर्वक

जिला कलक्टर
अजमेर

कार्यवाही किया जाना न्यायालय को प्रतीत होता हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी व प्रार्थना पत्र उच्चतर न्यायालय में दायर होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर